सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	पौष 09, गुरूवार, शाके -1943-दिसम्बर 30, 2021 *Pausa 09, Thursday , Saka 1943- December 30, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

एस.ओ.391 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.10.2020, जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 में प्रकाशित हुई है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 व उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है तथा एक नई प्रविष्ठि क्रम संख्या 1 के पश्चात् 2 निम्नानुसार जोडी जाती है:-

"

1.	किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहारों के आयोजन में संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना 200 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने पर।	10,000/-
2.	किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहारों के आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नही करने, सेनिटाईजेशन नही करने पर, सामाजिक दूरी नही बनाये जाने पर।	10,000/-

"

[प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.